



पुलिस कमिश्नरेंट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 07 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक— 05.11.2023

दिनांक 04 / 05.11.2023 को रात्रि थाना अलीगंज 01, गाजीपुर 01, मोहनलालगंज 05 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 07 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना गोसाईगंज—दिनांक 04.11.2023 को एस0आई0 श्री सुनील कुमार थाना गोसाईगंज द्वारा दौरान गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01—दिलीप पुत्र राम लखन निवासी—वार्ड अंसारी कस्बा अमेठी थाना गोसाईगंज लखनऊ को ईदगाह के पास कस्बा अमेठी से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अदद प्लास्टिक की पिपिया में 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना गोसाईगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना दुबग्गा—दिनांक 05.11.2023 को थाना दुबग्गा द्वारा बताया गया कि वादी श्री कर्ताराम वर्मा पुत्र रक्षाराम वर्मा निवासी—बेगरिया माधवपुर थाना दुबग्गा लखनऊ ने थाना दुबग्गा पर सूचना दिया कि वादी की दुकान दुबग्गा सीतापुर बाईपास, हरी मस्जिद के पहले ई रिक्शा रिपेयरिंग की बबलू रिपेयरिंग के नाम से दुकान है। दिनांक 31.10.2023 की रात्रि को समय करीब 12.00 बजे से 04.00 बजे रात्रि के मध्य वादी की उक्त दुकान में रखे कीमती सामान 04 अदद बैट्री, 03 अदद मोटर, 03 अदद कन्ट्रोलर, हब, साकर, बैरिंग व अन्य सामान को किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना दुबग्गा पर मु0अ0सं0 355/2023 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना सैरपुर—दिनांक 05.11.2023 को थाना सैरपुर द्वारा बताया गया कि वादी श्री राम लखन पुत्र स्व0 द्वारिका निवासी—ग्राम भुड़पुरवा थाना सैरपुर लखनऊ ने थाना सैरपुर पर सूचना दिया कि दिनांक 01.11.2023 को वादी ने अपना ट्रैक्टर यूपी32 एमएक्स 7696 अपने घर के सामने खड़ा किया था। दिनांक 02.11.2023 को समय करीब 03.00 बजे प्रातः को जब वादी ने उठकर देखा तो वादी का उक्त ट्रैक्टर उक्त स्थान पर नहीं था। वादी ने काफी खोजबीन की परन्तु वादी का ट्रैक्टर कहीं नहीं मिला। वादी के उक्त ट्रैक्टर को किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना सैरपुर पर मु0अ0सं0 102/2023 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना तालकटोरा—दिनांक 05.11.2023 को थाना तालकटोरा द्वारा बताया गया कि सतीश कुमार युग पुत्र स्व0 राधाकिशन युग निवासी—राजाजीपुरम लखनऊ ने थाना तालकटोरा पर सूचना दिया कि वादी की ई ब्लॉक राजाजीपुरम में पी—54, पेटल ब्यूटी के नाम से दुकान चलाता है। आज दिनांक 05.11.2023 की प्रातः समय करीब 04.00 बजे से 05.00 बजे के बीच चार अज्ञात चोरों द्वारा वादी की उक्त दुकान का शटर उठाकर वादी की दुकान में रखे करीब 08 से 10 हजार रुपये नगद को चोरी कर लिया गया है। और आज ही उक्त मार्केट में ही तीन अन्य दुकानों पी—21, फैंसी बैंगल स्टोर (मालिक मो0 अजीम), पी—14/15, एजाज बैंगल स्टोर (मालिक मो0 एजाज) व पी 12 माहा देवी बैंगल स्टोर (मालिक—अंकित) से भी उक्त अज्ञात चोरों द्वारा शटर उठाकर गल्ले से करीब 15 हजार रुपये नगदी को चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना तालकटोरा पर मु0अ0सं0 235/2023 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

